उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

हल्द्वानी, नैनीताल

विश्वविद्यालय वित्त समिति की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	**--**	**28 फरवरी, 2026**
समय	**--**	**प्रात: 11:30 बजे**
स्थान	**--**	**विश्वविद्यालय सभागार**

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 21वीं बैठक
दिनांक 28.02.2026 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 21वीं बैठक दिनांक 28.02.2026 को पूर्वान्ह 11:30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नवत पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1.	प्रो. नवीन चंद्र लोहनी कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	श्री हरीश सागर उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन)।	सदस्य
3.	श्रीमती पूजा नेगी, मुख्य वित्त अधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, हल्द्वानी (प्रतिनिधि सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन)।	सदस्य
4.	श्रीमती योजना रावत, निदेशक शोध, पंजाब विश्वविद्यालय (सदस्य कार्य परिषद)।	सदस्य
5.	श्री सूर्य प्रताप सिंह वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव
6.	डा0 खेमराज भट्ट कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य
7.	श्री अभिषेक कुमार वाजपेयी सहायक कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सर्वप्रथम सचिव, वित्त समिति द्वारा बैठक प्रारम्भ करने के लिए अध्यक्ष महोदय (कुलपति जी) की अनुमति उपरान्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का परिचय के साथ स्वागत किया गया। सचिव, वित्त समिति के द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रिया-कलापों एवं अन्य संगत गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात 21वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के साथ ही वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार 13 प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त अधोलिखित निर्णय लिए गए।

प्रस्ताव संख्या 21.01- वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक-17/11/2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 17.11.2025 को सम्पन्न वित्त समिति की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त समिति के सदस्यों को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या- यू०ओ०यू०/लेखा/2025/441/291, दिनांक 04/12/2025, पत्र संख्या- यू०ओ०यू०/लेखा/2025/441/292 दिनांक- 04/12/2025 एवं पत्र संख्या- यू०ओ०यू०/लेखा/2025/441/293 दिनांक-04/12/2025 के द्वारा प्रेषित किया गया था, जिस पर कोई भी संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

अत: उक्त पर विचार करते हुए वित्त समिति की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने सर्वसम्मति से 20वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या-21.02- वित्त समिति की 20वीं बैठक, दिनांक-17/11/2025 में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रस्ताव संख्या	वित्त समिति का अनुमोदन	कृत कार्यवाही की सूचना
20.01	वित्त समिति की 19वीं बैठक, दिनांक-19/03/2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पूर्ण
20.02	वित्त समिति की 19वीं बैठक, दिनांक-19/03/2025 में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही।	पूर्ण
20.03	विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन टाइप-3 एवं टाइप-4 आवासों के लिए अवशेष धनराशि को विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोतों से भुगतान करने पर विचार।	अवशेष धनराशि (SASCI) के अंतर्गत उपलब्ध कराने के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित
20.04	एम०पी०डी०डी० अनुभाग एवं विभिन्न अध्ययन केन्द्रों में पुरानी निष्प्रयोज्य पुस्तकों के नि:शुल्क वितरण के संबंध में कृत कार्यवाही पर संज्ञानार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।	पूर्ण
20.05	विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र समिति की सदस्यता हेतु सदस्यता शुल्क लिये जाने की प्रक्रिया पर विचार।	पूर्ण
20.06	विश्वविद्यालय की निधियों के प्रबन्धन के संबंध में नीति निर्धारण पर विचार।	शासनादेश संख्या 364993/ XXIV-C-1/2026-12(02)/ 2025 (E82136) दिनांक 27.01.2026 के क्रम में पुनः विचार हेतु प्रस्तुत।
20.07	कौशल आधारित कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त शुल्क में से अध्ययन केन्द्रों के अंश वितरण पर विचार।	पूर्ण
20.08	विश्वविद्यालय की अन्तर्राष्ट्रीय संबंध इकाई हेतु नया बजट शीर्षक बनाते हुए बजट आवंटित किये जाने पर विचार।	पूर्ण
20.09	विश्वविद्यालय की योजना बोर्ड की आठवीं बैठक दिनांक-13/10/2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।	कार्यवाही गतिमान है।
20.10	विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 20वीं बैठक, दिनांक-14/10/2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।	पूर्ण
20.11	विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की छठवीं बैठक, दिनांक-28/10/2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।	पूर्ण
20.12	विश्वविद्यालय की मान्यता बोर्ड की 10वीं बैठक, दिनांक-28/10/2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।	पूर्ण
20.13	विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 33वीं बैठक, दिनांक-10/11/2025 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।	पूर्ण
20.14	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।	पूर्ण

निर्णयः— समिति ने कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी.

प्रस्ताव संख्या- 21.03- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित आय-व्यय विवरण

(Revised Estimates)

आय विवरण **(धनराशि रुपए में)**

(क) कुल प्राप्तियां (राज्य सरकार) से प्राप्त अनुदान-		
1	मद संख्या-05, (वेतन)	14,00,00,000
2	मद संख्या-08, (पारिश्रमिक)	1,00,00,000
3	मद संख्या-56 (सहायक अनुदान, सामान्य गैर वेतन)	शून्य
4	मद संख्या-55, (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन)	1,90,17,500
	राज्य सरकार से प्राप्त आय का योग- (1+2+3+4)	**16,90,17,500**
(ख) यू०जी०सी० से प्राप्त अनुदान		
1	यू०जी०सी० से प्राप्त अनुदान	1,00,00,000
	यू०जी०सी० से प्राप्त आय का योग-	**1,00,00,000**
(ग) विभिन्न संस्थाओं (UCOST/CEMCA/UCBआदि) से प्राप्त आय		
1	विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त आय	15,00,000
	विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आय का योग-	**15,00,000**
(घ) स्वयं के स्रोतों से आय		
1	प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय	40,00,00,000
2	ब्याज से प्राप्त आय	9,00,00,000
3	अन्य आय स्रोत	5,00,000
	स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय का योग-(1+2+3)	**49,05,00,000**
	वित्तीय वर्ष 2025-26 की कुल प्राप्तियां (क +ख +ग +घ)	**67,10,17,500**

व्यय विवरण **(धनराशि रुपए में)**

(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय		
1	मद संख्या-05, (वेतन मद)	14,00,00,000
2	मद संख्या-08,(पारिश्रमिक मद)	1,00,00,000
3	मद संख्या-56 (सहायक अनुदान, सामान्य गैर वेतन)	शून्य
4	मद संख्या-55, (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन)	1,90,17,500
	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष कुल व्यय (1+2+3+4)	**16,90,17,500**
(ख) यू०जी०सी० नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान		
1	यू०जी०सी० से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय	1,00,00,000
	यू०जी०सी० से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष कुल व्यय	**1,00,00,000**

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(ग) विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आय के सापेक्ष व्यय		
1	विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आय के सापेक्ष व्यय	15,00,000
	विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आय के सापेक्ष कुल व्यय	**15,00,000**
(घ)वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वयं के स्रोतों से आय के सापेक्ष व्यय		
1	शुल्कादि एवं अन्य आय के सापेक्ष व्यय	38,00,00,000
	स्वयं के स्रोतों से आय के सापेक्ष कुल व्यय	**38,00,00,000**
	वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल व्यय (क +ख +ग +घ)	**56,05,17,500**

समिति को अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा मानक मद संख्या 05, वेतन भत्ते के रूप में सहायक अनुदान की प्राविधानित धनराशि रू० 13.00 करोड़ विश्वविद्यालय को दो किश्तों में प्राप्त हुई है। नियमित कार्मिकों का वित्तीय वर्ष 2025-26 के माह जनवरी 26 तक का वेतन आवश्यकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्राप्त आय में से वित्त समिति के अनुमोदन के अनुरूप आहरित किया गया था। शासन से धनराशि प्राप्त होने पर सुसंगत समायोजन कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त मानक मद संख्या 05, वेतन भत्ते में मद संख्या-56 सामान्य गैर वेतन, सहायक अनुदान के रूप में शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि रूपये 1.00 करोड़ को पुनर्विनियोजन के द्वारा उपलब्ध कराने एवं अतिरिक्त धनराशि रूपये 1.00 करोड़ का प्राविधान कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करने हेतु शासन को पत्र भेजा गया है। अद्यतन वेतन में किये गये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

पारिश्रमिक मद संख्या-08 के लिए अद्यतन विश्वविद्यालय संसाधनों से किये गये व्यय का समायोजन शासन से प्राप्त हुई अनुदान धनराशि रूपये 1.00 करोड़ के सापेक्ष किया गया है। इसके लिए कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

शासन की मद संख्या-55, पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन में प्राप्त अनुदान के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। निर्माणाधीन टाइप 3 एवं टाइप 4 आवासों के निर्माण हेतु स्वीकृत बजट में से अवशेष धनराशि रूपये 3.0275 करोड़ "राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI)" के अंतर्गत उपलब्ध कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

समिति के संज्ञान में लाना है कि वित्तीय वर्ष मार्च 2026 में समाप्त होने वाला है। अत: उक्त पूर्ण वित्तीय वर्ष का वास्तविक आय-व्यय विवरण आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

प्रस्ताव अवलोकनार्थ, विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:— समिति ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में आय-व्यय की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। इसके साथ ही समिति ने निर्माणाधीन टाइप-3 और टाइप-4 आवासों के लिए स्वीकृत अवशेष धनराशि को अवमुक्त किए जाने हेतु शासन को पुनः प्रस्ताव प्रेषित किए जाने की संस्तुति की।

प्रस्ताव संख्या- 21.04 वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आय-व्ययक पर विचार।

वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित आय विवरण (धनराशि रुपए में)

(क) राज्य सरकार से अनुदान		
1	मद संख्या-05, (वेतन)	18,44,66,000
2	मद संख्या-08, (पारिश्रमिक)	1,62,16,000
3	मद संख्या-56, (सहायक अनुदान सामान्य गैर वेतन)	1,000
4	मद संख्या-55, (पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन)	38,05,16,000
5	ब्याज -00, (कर्मचारियों के जी०पी०एफ० अंशदान पर ब्याज)	25,45,977
	राज्य सरकार से प्राप्त कुल आय (1+2+3+4+5)	**58,37,44,977**
(ख) यू०जी०सी० नई दिल्ली से अनुदान		
1	यू०जी०सी०, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान	1,00,00,000
	यू०जी०सी० से प्राप्त कुल आय	**1,00,00,000**
(ग) विभिन्न संस्थाओं (UCOST/CEMCA/UCBआदि) से आय		
1	विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त आय	25,00,000
	विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त कुल आय	**25,00,000**
(घ) वित्तीय वर्ष- 2026-27 में स्वयं के स्रोतों से अनुमानित आय		
1	प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय	42,00,00,000
2	ब्याज से प्राप्त आय	10,50,00,000
3	अन्य आय स्रोत	15,00,000
	स्वयं के स्रोतों से प्राप्त कुल आय(1+2+3)	**52,65,00,000**
	वित्तीय वर्ष 2026-27 की कुल प्राप्तियां(क +ख +ग +घ)	**1,12,27,44,977**

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित व्यय विवरण (धनराशि रुपए में)

(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से व्यय			
मानक मद		विवरण	धनराशि (रु.)
1	05	Salary	18,44,66,000
2	08	Remuneration	1,62,16,000
3	56	Non-Salary Expenses	1,000
4	55	Capital Assets	38,05,16,000
5	00	GPF Interest	25,45,977
		राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से कुल व्यय(1+2+3+4+5)	**58,37,44,977**
(ख) यू०जी०सी० से प्राप्त अनुदान			
1		यू०जी०सी० से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष व्यय	1,00,00,000
		यू०जी०सी० से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष कुल व्यय	**1,00,00,000**
(ग) विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आय के सापेक्ष व्यय			
1		विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आय के सापेक्ष व्यय	25,00,000
		विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त आय के सापेक्ष कुल व्यय	**25,00,000**
(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वयं के स्रोतों से आय के सापेक्ष व्यय			
1		शुल्कादि एवं अन्य आय के सापेक्ष कुल व्यय	52,51,28,000
		स्वयं के स्रोतों से आय के सापेक्ष कुल व्यय	**52,51,28,000**
		वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल व्यय (क +ख +ग +घ)	**1,12,13,72,977**

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी.

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(घ) स्वयं के स्रोतों से व्यय का विवरण (धनराशि रुपए में)

मानक मद	विवरण	धनराशि (रु.)
02	Wages	1,50,000
04	Travelling Allowance	17,00,000
09	Reimbursement Of Medical Expenses	1,000
10	Training	5,00,000
11	Allowance Related Exp. (Uniform/Mobile/Laptop/Suitcase Etc.)	10,000
20	Stationery & Printing	12,00,000
21	Office Furniture & Equipments	1,00,00,000
22	Office Expenses	50,00,000
23	Rent & Taxes	10,00,000
24	Advertisement & Publishing	3,15,00,000
25	Payment Of Utility Bills	40,00,000
26	Computer Hardware, Software & Maintenance	1,00,00,000
27	Payment For Professional And Special Services	8,50,00,000
28	Staff Car Purchase	1,000
29	Vehicle Operation, Fuel & Maintenance	10,00,000
30	Hospitality	1,00,000
40	Machine & Equipments	2,00,00,000
42	Other Departmental Expenses	23,89,65,000
51	Maintenance	1,00,00,000
52	Small Construction	50,00,000
53	Large Construction	10,00,00,000
54	Land Purchase	1,000
	TOTAL	**52,51,28,000**

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

Details of Other Departmental Expenses (42)

1	Convocation	20,00,000
	Sports	10,00,000
	Cultural Activities	10,00,000
	Research Fund	1,00,00,000
2	Fee Share to Study Centres	5,00,00,000
3	Internal Complaint Committee	6,90,000
4	Student Support Service	25,00,000
5	Library	50,00,000
6	Exam Expenses	12,00,00,000
7	Creche	7,00,000
8	EMPC and Radio	14,50,000
9	Women Studies	1,00,000
10	All Academic Departments	4,45,25,000
	TOTAL	**23,89,65,000**

10- Details of Budget for All Academic Departments

BUDGET PROPOSAL ACADEMIC DEPARTMENT WISE			
S.No.	**Name of School**	**Departments**	**Proposed**
1	**School of Humainites**	English and Foreign Language	5,00,000
		Hindi and Modern Indian Languages	4,00,000
		Vedic Jyotish and Indian Karmkand	1,00,000
		Music, Dance and Art Performance	4,00,000
		Philosophy	1,00,000
		Sanskrit and Prakrit Languages	1,00,000
		Urdu	1,00,000
		Total	**17,00,000**
2	**School of Social Science**	Economics	1,00,000
		History	1,00,000
		Indian Knowledge System	5,00,000
		Political Science	5,00,000
		Psychology	4,00,000
		Public Administration	20,00,000
		Social Work	4,00,000
		Sociology	16,50,000
		Himalayan Studies	1,00,000
		Gandhi Studies and Peace	1,00,000
		Total	**58,50,000**

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

S.No.	Name of School	Departments	Proposed
3	School of Management Studies and Commerce	Management Studies	10,00,000
		Commerce	
		Human Values and ethics	1,00,000
		Total	**11,00,000**
4	School of Science	Botany	36,00,000
		Chemistry	28,50,000
		Maths	9,00,000
		Physics	28,00,000
		Zoology	28,00,000
		Total	**1,29,50,000**
5	School of Computer Science	Computer Science	1,04,00,000
		Information Technology	
		Total	**1,04,00,000**
6	School of Vocational Studies	Vocational Studies	14,70,000
		Total	**14,70,000**
7	School of Tourism, Hospitality and Hotel Management	Tourism and Hospitality	1,50,000
		Hotel Management	
		Total	**1,50,000**
8	School of Agriculture & Development Studies	Agriculture	1,00,000
		Horticulture	
		Development Studies	
		Total	**1,00,000**
9	School of Health Science	Ayurveda	13,60,000
		Medical Science and Health Care	
		Yog and Natural Health	
		Home Science	14,60,000
		Total	**28,20,000**
10	School of Education	Education	1,00,000
		Teacher Education	
		Special Education	1,00,000
		Total	**2,00,000**

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

S.No.	Name of School	Departments	Proposed
11	**School of Library and Information Science**	Library and Information Science	1,05,000
		Total	**1,05,000**
12	**School of Journalism and Media Studies**	Journalism	12,00,000
		Media Studies	
		Total	**12,00,000**
13	**School of Law**	Civil Law	2,00,000
		Criminal Law	
		Human Rights and Legal Affairs	1,00,000
		Total	**3,00,000**
14	**School of Earth and Environmental Science**	Geology	1,00,000
		Forestry and Environment Science	24,00,000
		Geography and Natural Resource Management	20,00,000
		Remote Sensing and GIS	16,80,000
		Total	**61,80,000**
		GRAND TOTAL	**4,45,25,000**

समिति से अनुरोध है कि उपर्युक्त आगामी आय-व्यय विवरण को पारित करने कष्ट करें। इसके साथ ही अति आवश्यक कार्यों के लिए शासन से अनुदान प्राप्त होने की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय को स्वयं की आय के स्रोतों से व्यय किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त दशा में अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त व्यय की गयी वास्तविक धनराशि को संबंधित उचित मदों के सापेक्ष समायोजित कर दिया जायेगा एवं वास्तविक आय-व्यय की स्थिति से समिति को आगामी बैठक में अवगत कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्रोतों से होने वाली आय के सापेक्ष बजट सीमा के अंतर्गत कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एवं आवश्यकतानुसार एक मद से दूसरे मद में पुनर्विनियोग वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त किया जा सकेगा।

प्रस्ताव समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— समिति ने विश्वविद्यालय की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति की सराहना करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या-21.05- उच्च शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 364993/XXIV-C-1/2026-12(02)/2025(E-82136) दिनांक 27.01.2026 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चयनित बैंकिंग साझीदार (भारतीय स्टेट बैंक) के साथ किए गए MOU पर विचार।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, शासन देहरादून के पत्र संख्या- 364993/XXIV-C-1/2026-12(02)2025 (E-82136), दिनांक- 27.01.2026, के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक के साथ किए गए एम०ओ०यू० के अनुसार राजकीय विश्वविद्यालयों के पूर्व से संचालित बैंक खातों को बंद कराते हुए संगत धनराशि को राज्य शासन द्वारा चयनित बैंकिंग साझीदार (भारतीय स्टेट बैंक) में जमा कराने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की निधियों के प्रबंधन के संबंध में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में विहित प्रावधान निम्नानुसार हैं-

अध्याय -6 विश्वविद्यालय निधि, धारा 25- *विश्वविद्यालय निधि को कार्य परिषद् के विवेक पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखा जायेगा अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित किया जायेगा।*

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 2009

अध्याय-पांच- *विश्वविद्यालय के प्राधिकारी- कार्य परिषद् का गठन, उसकी पदावधि तथा कृत्य एवं शक्तियां-*

(धारा 17)(8) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी अर्थात्-

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(सात) विश्वविद्यालय के ऐसे अतिरिक्त धन को ऐसी प्रतिभूतियों में जैसा वह ठीक समझे या विश्वविद्यालय के विकास के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना:

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन कोई कार्यवाही वित्त-समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जायेगी।

उक्तानुसार उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की निधियों के प्रबंधन के संबंध में कोई भी निर्णय वित्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् कार्यपरिषद द्वारा ही लिया जा सकता है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णयः— समिति ने राज्य सरकार से प्राप्त समस्त अनुदान को उक्त शासनादेश के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में ही रखने एवं उक्त MOU के संबंध में सचिव, वित्त/निदेशक बजट के पत्र संख्या 295/बजट/2026 दिनांक 19.02.2026 के बिन्दु संख्या 1 से 3 के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने तक विश्वविद्यालय की स्वयं की आय एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के प्रबंधन हेतु पूर्व व्यवस्था को जारी रखने एवं अन्य राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए तदनुसार निर्णय लेने एवं आगामी वित्त समिति में पुनः विचार की संस्तुति दी।

प्रस्ताव संख्या 21.06 -उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पूंजी निधि की स्थापना और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पूंजी निधि प्रबंधन नीति- 2026 (Uttarakhand Open University Corpus Fund Management Policy- 2026) पर विचार -

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में वित्तीय आत्मनिर्भरता और स्थिरता, अवसंरचना विकास, अनुसंधान और नवाचार और भविष्य की योजनाओं के लिए एक सशक्त पूंजी निधि की आवश्यकता है।

यह पूंजी निधि किसी भी अप्रत्याशित संकट के समय (जैसे प्राकृतिक आपदा या महामारी) विश्वविद्यालय को अपना संचालन जारी रखने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगी, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

वर्तमान में मूलधन राशि रुपये 150 करोड़ के साथ पूंजी निधि का गठन प्रस्तावित है, समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के अनुरूप इसमें वृद्धि की जा सकेगी।

पूंजी निधि के उचित प्रबंधन के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पूंजी निधि प्रबंधन नीति- 2026 निम्नानुसार तैयार की गई है -

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पूंजी निधि प्रबंधन नीति- 2026

1. शीर्षक एवं प्रारंभ

यह नीति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पूंजी निधि प्रबंधन नीति 2026 कहलाएगी और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की तिथि से लागू होगी।

2. पूंजी निधि के उद्देश्य

पूंजी निधि का रखरखाव निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगाः

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

i . वित्तीय स्थिरता

विश्वविद्यालय की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित करना।

ii . विकास के लिए आय सृजन

पूंजी निधि के विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से आवर्ती आय उत्पन्न करना, जिसका उपयोग शैक्षणिक विकास, अनुसंधान, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, डिजिटल विस्तार, छात्र सहायता सेवाओं और अन्य रणनीतिक पहलों के लिए किया जाएगा।

iii . रणनीतिक एवं आकस्मिक सहायता

उचित अनुमोदन के अधीन, रणनीतिक विकास पहलों और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

iv. पूंजी संरक्षण

पूंजी निधि की मूल राशि को विश्वविद्यालय के स्थायी निवेश के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना।

3. पूंजी निधि के स्रोत

पूंजी निधि में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

i. सरकार से अनुदान और अंशदान

ii. दान और निवेश

iii. वित्त समिति के प्रस्ताव द्वारा हस्तांतरित अधिशेष राजस्व

iv. कोष निर्माण के लिए निर्धारित कोई अन्य अनुमोदित प्राप्तियाँ

4. पूंजी निधि का निवेश

i . पूंजी निधि की मूल राशि को सुरक्षित और संरक्षित साधनों में निवेश किया जाएगा, जैसे:

- **a.** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- **b.** सरकारी प्रतिभूतियाँ
- **c.** वित्त समिति और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित अन्य साधन

ii. निवेश में निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाएगी:

- **a.** पूंजी सुरक्षा
- **b.** उचित प्रतिफल
- **c.** संस्थागत आवश्यकताओं के अनुरूप तरलता
- **d.** अनुमोदित बैंकों/साधनों में विविधीकरण

iii. किसी भी प्रकार के सट्टा या उच्च जोखिम वाले निवेश की अनुमति नहीं होगी।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

5. आय का उपयोग

i . पूंजी निधि पर अर्जित ब्याज/आय का ही सामान्यतः उपयोग किया जाएगा।

ii . ऐसी आय का उपयोग केवल निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

a. शैक्षणिक एवं अनुसंधान विकास

b. अवसंरचना एवं डिजिटल शिक्षा का विस्तार

c. गुणवत्ता संवर्धन पहल

d. छात्र कल्याण उपाय

iii . विश्वविद्यालय के वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी।

6. मूलधन की निकासी

i. मूलधन राशि को निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर निकाला या घटाया नहीं जाएगा:

a. असाधारण परिस्थितियों में

b. वित्त समिति और कार्य परिषद की पूर्व स्वीकृति से

ii. ऐसी किसी भी निकासी के साथ पुनर्स्थापन योजना (restoration plan) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

7. संचालन और निगरानी

i. वित्त समिति वार्षिक रूप से मूलधन निवेश की समीक्षा करेगी।

ii. खातों का लेखापरीक्षा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

पूंजी निधि की स्थिति का विवरण वार्षिक रूप से कार्य परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा।

8. नीति की समीक्षा

इस नीति की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष में या वैधानिक परिवर्तनों के कारण आवश्यक होने पर उससे पहले की जाएगी।

उक्तानुसार पूंजी निधि के गठन एवं पूंजी निधि प्रबंधन नीति- 2026 के प्राविधानों पर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— समिति ने विश्वविद्यालय की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति हेतु पूंजी निधि की आवश्यकता के दृष्टिगत सर्वसम्मति से प्रस्ताव की सराहना करते हुए अनुमोदन प्रदान किया। इसके साथ ही समिति ने भविष्य में निवेश हेतु अन्य निवेश विकल्पों पर भी विचार करने की संस्तुति दी।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 21.07- कंप्यूटर साइंस विभाग में 50 कंप्यूटर की क्षमता की प्रयोगशाला की स्थापना पर विचार -

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग में छात्रों की बढ़ती संख्या और तकनीकी शिक्षा की मांग को देखते हुए एक 50 कंप्यूटरों वाली आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना प्रस्तावित है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक (Practical) ज्ञान में भी दक्ष बनाना है।

लाभ -

- प्रायोगिक शिक्षा: छात्र प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट का वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।
- ऑनलाइन परीक्षा: इस लैब का उपयोग विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षाओं और कार्यशालाओं (Workshops) के लिए किया जा सकेगा।
- कौशल विकास: स्थानीय युवाओं के लिए अल्पकालिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा सकेंगे।

यह प्रयोगशाला न केवल कंप्यूटर विज्ञान विभाग की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाएगी, बल्कि विश्वविद्यालय को एक 'डिजिटल हब' के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।

प्रयोगशाला की स्थापना पर लगभग 1,04,70,000 रुपये का व्यय संभावित है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— समिति ने कौशल आधारित प्रशिक्षण एवं NCVET की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

प्रस्ताव संख्या 21.08- शोध पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर विचार–

शोध पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण समिति की दिनांक 12.02.2026 को सम्पन्न बैठक में शोध पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। शुल्क निर्धारण समिति का कार्यवृत्त संलग्न है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 21.09- राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली 2025 के अंगीकरण पर विचार –

राज्य सरकार के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग की अधिसूचना संख्या 138/XXX(2)/2025-E69772/03(01)/2006 दिनांक 05.12.2025 द्वारा दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली- 2025 प्रख्यापित की गई है। इसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अंगीकृत किया जाना प्रस्तावित है। समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली में किए जाने वाले संशोधन विश्वविद्यालय में स्वतः ही लागू होंगे।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

प्रस्ताव संख्या 21.10- राज्य सरकार की मृतक आश्रित नियमावली के अंगीकरण पर विचार- –

विश्वविद्यालय के कार्मिकों श्री हेमंत काण्डपाल एवं श्री शेखर उपरेती के निधन के कारण उनके आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय में व्यवस्था न होने के कारण राज्य सरकार में प्रचलित नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड राज्य सरकार के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 178207/2023 दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली, 2023 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय के कार्मिकों की सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में उक्त नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली में किए जाने वाले संशोधन विश्वविद्यालय में स्वतः ही लागू होंगे।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 21.11- परीक्षा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकनकर्ता को पारिश्रमिक भुगतान हेतु न्यूनतम धनराशि का निर्धारण-

वित्त समिति की 10वीं बैठक के पारित मद संख्या 10.14 में यह व्यवस्था है कि उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान मूल्यांकनकर्ता को स्नातक पाठ्यक्रम में 16 रू प्रति उत्तरपुस्तिका एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 18 रू प्रति उत्तरपुस्तिका का भुगतान किया जायेगा।

कुछ प्रश्नपत्रों में उत्तरपुस्तिकाओं की मात्रा न्यून होने के कारण भुगतान की जाने वाली राशि में 250 रूपये न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसे वित्त समिति की 19वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या 19.01 में अंकित नहीं किया गया था।

अतः पारिश्रमिक भुगतान की व्यवस्था में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है-

" न्यूनतम 250 रूपये की सीमा को लागू करते हुए प्रति उत्तरपुस्तिका की दर का वास्तविक भुगतान अथवा न्यूनतम, जो भी अधिक हो, का भुगतान मूल्यांकनकर्ता को किया जा सकता है। "

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:—समिति ने कुछ प्रश्नपत्रों में छात्र संख्या कम होने तथा मूल्यांकन कार्य को समयबद्ध रूप से सम्पन्न किए जाने के दृष्टिगत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

प्रस्ताव संख्या 21.12– दिनांक 21.02.2026 को सम्पन्न विद्या परिषद की 34वीं बैठक में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार –

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दिनांक 21.02.2026 को सम्पन्न 34वीं बैठक में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों को विद्या परिषद द्वारा वित्त समिति के विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु अग्रसारित किया गया है। विद्या परिषद की संस्तुतियाँ संलग्न है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी.

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 21.13 –अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव –

21.13.01- विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न कार्य कराए जाने के संबंध में –

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 363967/XXIV-C-1/2026-01(20)/2025(E-79336) दिनांक 21.01.2026 के क्रम में मा. उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में निम्न कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं –

1. माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापना।
2. स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापना।
3. ओपन जिम की स्थापना।

उक्त कार्यों को बजट सीमांतर्गत विश्वविद्यालय की आय से सम्पन्न कराया जा सकता है।

प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

21.13.02- दीक्षांत समारोह में प्रायोजित स्वर्ण पदकों हेतु नियमावली पर विचार –

विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रत्येक विषय से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार स्वर्ण पदक दिए जाते हैं। इन स्वर्ण पदकों को प्रायोजित किए जाने के संबंध में समय-समय पर विभिन्न पक्षों से प्राप्त अनुरोधों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्ण पदकों को प्रायोजित किए जाने हेतु नियमावली तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा इस संबंध में नियमावली के मसौदे पर संस्तुति दी गई है।

नियमावली समिति के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

21.13.03- विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रशासनिक परामर्शदाताओं को देय पारिश्रमिक में वृद्धि पर विचार-

वित्त समिति की 19 वीं बैठक की मद संख्या 19.16 (क) एवं 19.16 (ख) में पारित निर्णय के क्रम में कुलसचिव कार्यालय के आदेश संख्या UOU/Estt.2021/57/1031, दिनांक 27.01.2026 द्वारा विश्वविद्यालय में नियोजित प्रशासनिक परामर्शदाताओं की मानदेय वृद्धि पर विचार हेतु माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की गई हैं।

तदनुसार प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है-

निर्णयः— समिति ने सर्वसम्मति से उक्त समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया।

बैठक के अंत में सचिव, वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

(सूर्य प्रताप सिंह)
सचिव
वित्त समिति
वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी।

(प्रो. नवीन चंद्र लोहनी)
अध्यक्ष
वित्त समिति
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)